पुनरीक्षण अपराध

न्यायधीश एस.एस. संधावालिया के समक्ष

राज्य,—याचिकाकर्ता

बनाम

रघबीर सिंह,—-प्रतिवादी।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 148-आर 1968.

30 अप्रैल, 1971.

अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम (1958 का XX) - धारा 11(2) - अपील का अधिकार - क्या राज्य के लिए उपलब्ध है - दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V)–धारा 439–राज्य अपील के अधिकार का लाभ नहीं उठा रहा है—क्या पुनरीक्षण कार्यवाही का सहारा लिया जा सकता है।

यह निर्धारित किया गया कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) की भाषा-अयोग्य शर्तों पर है। किसी विशिष्ट प्रतिबंध के अभाव में, जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वह गैर-अस्थिर खंड है, जो इस धारा द्वारा दिए गए अपील के अधिकार के संदर्भ में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को छोड़ देता है। इसमें ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसके द्वारा यह सुझाव दिया जा सके कि ऐसा अधिकार केवल आरोपी व्यक्ति तक ही सीमित है और अभियोजक के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभियोजन पक्ष के पास अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत पारित आदेश के खिलाफ धारा 11(2) के तहत अपील के माध्यम से वैधानिक अधिकार और उपाय है। (पैरा 5)

यह निर्धारित किया गया कि धारा 439, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है। यदि राज्य, जिसके पास अपील के माध्यम से वैधानिक अधिकार और उपाय है, उसका प्रयोग नहीं करता है, तो उसे सामान्य सिद्धांतों और अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439(5) के विशिष्ट प्रावधानों दोनों पर, पुनरीक्षण कार्यवाही का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (पैरा 5)

ओ पी. शर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव, कैंप, नारनौल, द्वारा अपने पत्र संख्या 280 दिनांक 19 अगस्त, 1968 के साथ, श्री आर सी. जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चरखी दादरी, दिनांक 1 सितंबर, 1967 के आदेश जिसके तहत प्रतिवादी को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया, के संशोधन के लिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत मामला रिपोर्ट किया गया।

याचिकाकर्ता के लिए हरि मित्तल जिला अटॉर्नी।

प्रतिवादी के लिए एस. दौलता और वी. जी. डोगरा, एक वकील।

निर्णय

न्यायधीश संधावालिया.-(1) प्राथमिक प्रश्न जो इस आपराधिक पुनरीक्षण में निर्धारण के लिए आता है, वह ये है की क्या अभियोजन पक्ष अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत पारित मुकदमे के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है।

(2) रघबीर सिंह प्रतिवादी को चरखी दादरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष अफीम अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आरोप पर मुकदमा चलाने के लिए लाया गया था। हालाँकि, पहले उदाहरण में, प्रतिवादी ने आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था, तथापि, पी.डब्लू. के साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के दौरान, उसने स्वेच्छा से एक स्वीकारोक्ति करने की पेशकश की जिसे दर्ज किया गया। अपराध की दलील के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि दर्ज की निर्णय में दर्ज किए गए कारणों से प्रतिवादी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 का लाभ दिया गया। फलस्वरूप-तत्पर उसे रुपये के निजी मुचलके प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए 1,500 और आगे एक वर्ष की अवधि के लिए जिला पंचायत अधिकारी, नारनौल की देखरेख में रहने का निर्देश दिया गया।

(3) राज्य ने ऊपर-कहे गए आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नही की, लेकिन ऊपर-कहे गए आदेश को रद्द करवाने के लिए पुनरीक्षण के माध्यम से सत्र न्यायालय में चले गए। मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आया और दर्ज किए गए कारणों के आधार पर, उन्होंने सिफारिश की है कि प्रतिवादी को दी गई सजा को छह महीने के कठोर कारावास तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(4) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त योग्यता से रहित नहीं हैं। हालाँकि, इन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सक्षमता पर मुख्य रूप से प्रतिवादी की ओर से श्री वी.जी. डोगरा द्वारा आपत्ति जताई गई है। यह तर्क दिया जाता है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 11(2) के तहत, राज्य, यदि वह ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे चुनौती देने के लिए अपील दायर करने का हकदार है। फिर भी उसे इस वैधानिक उपाय का लाभ नहीं मिला और उसने संशोधन के माध्यम से सत्र न्यायालय का रुख किया। इसलिए यह तर्क दिया गया कि धारा 439(5) के प्रावधानों के आधार पर, उस पक्ष के अनुरोध पर कोई भी संशोधन सक्षम नहीं था जो अपील दायर करने का हकदार था। प्रतिवादी की ओर से नोंगथोम्बम कन्हाई सिंह बनाम राजकुमार भास्कर सिंह और अन्य[1] और अरखिता बेहरा और अन्य बनाम

[1] A.I.R 1964 Manipur 20

भिकारी बेहरा[2] पर भरोसा रखा गया।

(5) राज्य की और से श्री मित्तल ने केवल हल्का सा तर्क दिया है कि राज्य अपील दायर करने का हकदार नहीं था और इसलिए केवल पुनरीक्षण कार्यवाही ही सक्षम थी। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम का प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में है: -

"11. (1) संहिता या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, जब मामला उसके समक्ष अपील या पुनरीक्षण पर आता है, इस अधिनियम के तहत आदेश अपराधी पर मुकदमा चलाने और उसे कारावास की सजा देने का अधिकार रखने वाली किसी भी अदालत द्वारा और उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायलय द्वारा भी दिया जा सकता है।

(2) संहिता में किसी भी बात के बावजूद, जहां धारा 3 या धारा 4 के तहत कोई आदेश अपराधी पर मुकदमा चलाने वाली किसी अदालत (उच्च न्यायालय के अलावा) द्वारा किया जाता है, अपील उस अदालत में की जाएगी, जहां अपील आम तौर पर पूर्व न्यायालय के वाक्यों से होती है।

(3) * * *

(4) * * *

* * * "

ऊपर उद्धृत उप-खंड (2) अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) की भाषा-अयोग्य शर्तों पर है। किसी विशिष्ट प्रतिबंध के अभाव में, इस धारा द्वारा दिए गए अपील के अधिकार के संदर्भ में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को छोड़कर गैर-अस्थिर खंड विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसमें ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसके द्वारा यह सुझाव दिया जा सके कि ऐसा अधिकार केवल आरोपी व्यक्ति तक ही सीमित है और अभियोजक के लिए उपलब्ध नहीं होगा। मैं सिद्धांत के आधार पर इस मामले को और अधिक विस्तार से बताना अनावश्यक समझता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह बैदानाथ प्रसाद बनाम अवधेश सिंह और अन्य[3] मामले में डिवीजन बेंच के फैसले के तहत पूरी तरह से कवर किया गया है। प्रतिद्वंद्वी के तर्क की विस्तृत जांच के बाद खंडपीठ और भी आगे बढ़ गई और कहा कि अभियोजन पक्ष के अलावा शिकायतकर्ता भी इन परिस्थितियों में अपील करने का हकदार होगा। इसे निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया गया है: –

“मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, चूंकि धारा 11 की उपधारा (2) की भाषा व्यापक, लचीली और अप्रतिबंधित है जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है जो अपील कर सकता है, तो अपील का अधिकार केवल दोषी व्यक्ति या यहां तक कि राज्य तक सीमित रखने का कोई औचित्य नहीं है, जब राज्य

[2] I.L.R 1968 Cuttack 223
[3] A.I.R 1964 Patna 358

अभियोजन चला रहा हो, लेकिन यह अवश्य माना जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत कार्रवाई के औचित्य के संकीर्ण प्रश्न पर अपील दायर करने का विशेषाधिकार शिकायतकर्ता को भी प्रदान किया गया है।"

एन ओंगथॉम बैम कन्हाई सिंह का मामला (1) में भी एक समान विचार व्यक्त किया गया है। इसलिए मैं पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य के पास ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील के माध्यम से वैधानिक कानूनी उपाय था। इसने उस उपाय का लाभ नहीं उठाया और ऐसी स्थिति में आपराधिक संहिता की धारा 439(5) की रोक प्रक्रिया को अच्छी तरह से आकर्षित किया जा सकता है जैसा कि अरखिता बेहरा और अन्य बनाम भिखारी बेहरा में निर्धारित किया गया है(2)। राज्य की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि वर्तमान मामले में अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सिफारिश की गई है, और यह धारा 439(बी) के तहत सिद्धांत के आकर्षण को बाहर कर देगा। इस विवाद का उत्तर द स्टेट बनाम के. लछमन मूर्ति और अन्य[4] में मुख्य न्यायाधीश आर. अल नरसिम्हन ने दिया "सवाल आख़िरकार इसी पर मुड़ता है; वह व्यक्ति कौन है जिसने दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से संहिता के प्रावधानों को लागू किया है? यदि वह व्यक्ति निर्णय के पक्षकारों में से एक होता है, तो यह महत्वहीन है कि क्या वह पक्ष सीधे उच्च न्यायालय में गया, ~या सत्र न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जैसा भी मामला हो।"

यह निर्विवाद है कि धारा 439, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है। याचिकाकर्ता राज्य, जिसके पास अपील के माध्यम से वैधानिक अधिकार और उपाय था, ने उसका प्रयोग नहीं किया था। सामान्य सिद्धांतों पर और धारा 439(5) के विशिष्ट प्रावधानों पर भी, जिस पक्ष के पास अपील का अधिकार है, उसे पुनरीक्षण कार्यवाही का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं वर्तमान मामले में राज्य के कहने पर हस्तक्षेप करने से अनिच्छुक हूं और परिणामस्वरूप संदर्भ को अस्वीकार कर दूंगा।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

[4] A.I.R 1958 Orissa204

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा